



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-327/2026/1917/22-2-2023-17(781)/2023
लखनऊ: दिनांक: 02 अप्रैल, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी हरिराम (बन्दी संख्या-04/2022) पुत्र श्री वरन उर्फ जसई, निवासी- ग्राम-मुडिला, थाना-मोहाना, जनपद-सिद्धार्थनगर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-102/2015 में भा०द०वि० की धारा-302/149, 352/149 147, 148 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ०टी०सी० कक्ष सं०-01, सिद्धार्थनगर के दण्डादेश दिनांक 06.10.2016 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.12.2022 तक अपरिहार 06 वर्ष, 09 माह, 21 दिन तथा 07 वर्ष, 07 माह, 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-327/2026/1917(1)/22-2-2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर।
- 3- पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर।
- 4- अधीक्षक, जिला कारागार, सिद्धार्थनगर।
- 5- निजी सचिव, मा० मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० को मा० राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।